


25<sup>06</sup>  
2018

बैंड प्रतिनिधि अफ। अपार्थी सुपुआ अनुपस्थित। बैंड प्रतिनिधि  
ने कथन किया कि अपार्थी द्वारा बैंड की समस्त वकालत राशि  
पुका की है। अपार्थी पर बैंड का कोई गण वकालत नहीं है। इस  
बाबत दिनांक 18/6/2018 को लिखित में भी प्रतीना पत्र पेश कर दिया  
है। अतः अपार्थी के विरुद्ध अ-तरण की कार्यवाही को निरस्त किया  
जावे।

अतः सचिव, धौलपुर जिला विकास बैंड धौलपुर के प्रतीना पत्र दिनांक  
18/6/2018 के आधार पर प्रकरण में कार्यवाही इसी स्तर पर निस्तारित  
की जाती है तथा अपार्थी बैंड का प्रतीना पत्र खारिज किया जाता है।  
पत्रावली में लाल सुआ ही वाद लक्ष्मील गाविल पदता है।  
पुका व नाराजे कद प्रिया जावे।



जिला कलक्टर  
धौलपुर